इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 414] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 27 जुलाई 2018—श्रावण 5, शक 1940

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 27 जुलाई 2018

क्र. एफ-ए-3-28-2017-1-पांच (67).—मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 7 की उपधारा (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, जीएसटी परिषद् की सिफारिशों के आधार पर, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-28-2017-1-पांच (48), दिनांक 30 जून 2017 में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:—

उक्त अधिसूचना में, पहले पैराग्राफ में,—

(i) ''राज्य सरकार'' शब्दों के पश्चात् ''या संघ राज्य क्षेत्र'' शब्दों को अंत: स्थापित किया जाएगा;

(ii) ''पंचायत को'' शब्दों के पश्चात् ''या संविधान के अनुच्छेद 243 ब के अंतर्गत नगर निगम को'' अंत:स्थापित किया जाएगा.

2. यह अधिसूचना 27 जुलाई 2018 से प्रवृत्त होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरुण परमार, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 27 जुलाई 2018

क्र. एफ-ए-3-28-2017-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-28-2017-1-पांच (67), दिनांक 27 जुलाई 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरुण परमार, उपसचिव.

Bhopal, the 27th July 2018

No. F. A-3-28-2017-1-V-(67).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 7 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the State Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in this department's notification No. FA-3-28-2017-1-V(48), dated 30th June 2017, namely:—

In the said notification, in the first paragraph,—

(i) after the words "State Government'', the words "or Union territory'' shall be inserted;

(ii) after the word "Constitution'' the words "or to a Municipality under article 243W of the Constitution" shall be inserted.

2. This notification shall come into force on the 27th of July 2018.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ARUN PARMAR, Dy. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2018.